भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2750
19/12/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

तटरेखा अपरदन का आकलन

2750. डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सुदूर संवेदन आंकड़ों और क्षेत्रीय अवलोकनों का उपयोग करते हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान तटरेखा अपरदन किया है और कर्नाटक के तट सहित ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान की है जहां समुद्री अपरदन हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास उन समुदायों के पुनर्वास की कोई योजना है जो तटरेखा अपरदन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अपनी जमीन खोने की कगार पर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक के तट पर तटीय अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गईं हैं/ करने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से, तटरेखा के कटाव का आकलन किया है तथा उपग्रह और स्वस्थाने प्रेक्षणों का उपयोग करके कर्नाटक सहित पूरे भारतीय तट पर समुद्री कटाव के अधीन तटीय क्षेत्रों की पहचान की है। तटरेखा मानचित्रण प्रणाली के तहत, तटीय कटाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 1:25000 पैमाने पर पूरे भारतीय मुख्य भूमि के तट के लिए 526 मानचित्र तैयार किए गए थे, साथ ही 69 जिला मानचित्र और 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र भी तैयार किए गए थे। ये मानचित्र ज्वारमापियों और प्रकाशित दस्तावेज द्वारा दर्ज चरम जल स्तरों, उपग्रह डेटा से अनुमानित तटरेखा परिवर्तन दर, समुद्र स्तर परिवर्तन की दर और उच्च-विभेदन वाले स्थलाकृतिक डेटा (एयरबोर्न लिडार टेरेन मैपिंग, और कार्टोसैट -1 डेटा से प्राप्त डिजिटल टेरेन मॉडल) के संयोजन के आधार पर तैयार किए गए थे। एटलस का अद्यतन संस्करण, साथ ही रिपोर्ट का डिजिटल संस्करण, जिसमें सभी मानचित्र शामिल हैं, 25 मार्च 2022 को जारी किया गया।

(ख) और (ग) जी हाँ। भारत सरकार तटीय कटाव से निपटने और तटीय क्षेत्रों तथा तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्रालय ने पुदुच्चेरी और केरल के चेल्लनम में तटीय कटाव शमन के अभिनव उपायों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, जिससे पुदुच्चेरी में तटीय क्षेत्रों की बहाली और समुद्र तट विनाश और चेल्लनम मत्स्यन गाँव में बाढ़ सुरक्षा में मदद मिली।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से, कर्नाटक सहित समुद्री राज्यों को समुद्र तट में परिवर्तन की निगरानी, संवेदनशील भागों पर तटीय सुरक्षा उपायों की डिजाइन आदि में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। समुद्र क्षरण रोधी उपायों की योजना और क्रियान्वयन कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार और अपने संसाधनों से किया जा सकता है।

जल शक्ति मंत्रालय की बाढ़ प्रबंधन स्कीम, जिसमें समुद्र-कटाव रोधी योजनाएँ शामिल हैं, की योजना राज्य सरकारों द्वारा राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से बनाई और क्रियान्वित की जाती है। केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी, सलाहकार, उत्प्रेरक और प्रोत्साहन प्रकृति की सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को दी गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत तटीय और नदी कटाव के लिए धनराशि के अनुमोदन और इसे जारी करने के लिए दिशा-निर्देश तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए नीति को तटीय और नदी कटाव से विस्थापित लोगों के प्रभावी पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित रखना तथा मछुआरों और कर्नाटक के अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालाँकि, तटीय विनियमन तट पर कटाव नियंत्रण उपायों की स्थापना की अनुमति देते हैं। अधिसूचना में भारत के समुद्र तट को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड) का भी प्रावधान है।

****